

देश के मेंटर कार्यक्रम: दिल्ली सरकार

प्रलिस के लयि:

एनसीपीसीआर, पॉक्सो एक्ट, शकषा से संबंघति योअनाएँ।

मेन्स के लयि:

देश के मेंटर कार्यक्रम का महत्त्व और बच्चों की सुरक्षा से संबंघति मुददे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) ने सुझाव दया कऱ दिल्ली सरकार अपने प्रमुख 'देश के मेंटर' कार्यक्रम को तब तक के लयि स्थगति कर दे, जब तक कऱ बच्चों की सुरक्षा से संबंघति सभी खामयिों को दूर नहीं कया जाता।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

- NCPCR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights-CPCR) अधनियम, 2005 के तहत एक वैधानकऱ नकऱय के रूप में कया गया है।
- यह महिला एवं बाल वकऱस मंत्रालय के प्रशासनकऱ नर्यऱरण में कारयरत है।
- आयोग का अधदेश (Mandate) यह सुनश्चितऱ करता है कऱ सभी कानून, नीतयिों, कार्यक्रम और प्रशासनकऱ तंत्र भारत के संवधऱन में नहऱति बाल अधिकार के प्रावधऱनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- यह [शकषा का अधिकार अधनियम, 2009](#) (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे के लयि मुफ्त एवं अनवर्य शकषा के अधिकार से संबंघति शकऱयतों की ऑँच करता है।
- यह [लैंगकऱ अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधनियम, 2012](#) [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012] के कार्यानवयन की नगरऱनी करता है।

प्रमुख बडु

- देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में:**
 - इसे अकतुबर 2021 में लॉन्च कया गया था, जसऱका उददेश्य नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छकऱ सलाहकारों (Voluntary Mentors) से ऑँडना था।
 - दिल्ली टेकनोलॉजकऱल यूनवरसऱटी की एक टीम दवारा बनाए गए एप के माध्यम से 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग मेंटर बनने हेतु साइन अप कर सकते हैं, जो कऱ आपसी हतऱों के आधार पर छात्रों से ऑँडे रहेंगे।
 - मेंटरशपि में कम-से-कम दो महीने के लयि नयऱमति फोन कॉल शामिल हैं, जसऱसे वैकल्पकऱ रूप से अगले चार महीनों तक चलाया जा सकता है।
 - इस वचऱर का उददेश्य युवा मेंटरस को उच्च शकषा और कॅरयऱर वकऱल्पों जैसे मामलों में छात्रों को मार्गदर्शन के लयि प्रेरति करना है, ताकऱ वे बेहतर ढंग से उच्च शकषा प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें और दबाव मुक्त हो सकें।
 - अब तक 44,000 लोगों ने मेंटर के रूप में साइन अप कया है, जो कऱ 1.76 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं।
- NCPCR दवारा उटाई गई चतऱएँ:**
 - बच्चों को केवल समान लगी के मेंटर के साथ ऑँडना ही दुरव्यवहार से उनकी रक्षा करने का उपाय नहीं है।
 - मेंटर के **पुलसऱ सतऱपन का अभाव**।
 - साइकोमेट्रकऱ टेस्ट कसऱी भी बच्चे के लयि संभावति खतरे के संदर्भ में **कसऱी वयकऱतऱका पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन नहीं है**।
 - बातचीत को फोन कॉल तक सीमति करना भी बच्चों की सुरक्षा सुनश्चितऱ नहीं करता है क्योंकि **बच्चे से संबंघति अपराध फोन कॉल के माध्यम से भी शुरू कयऱ जा सकते हैं।**
 - बच्चों को ऐसी स्थतऱयिों से बचऱने की ज़मऱमेदारी और जवाबदेही वधऱग की होती है। कसऱी भी अपर्यऱ घटना की स्थतऱति में माता-पति की सहमतऱका उपयोग के रूप में नहीं कया जा सकता है।

स्रोत; इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/desh-ke-mentor-programme-delhi-government>

